# न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बीट्रेटर, श्रीगंगानगर

**विविध एन.एच. प्रकरण संख्या 54 / 2022(GCMS 2022/321)**

1. **अमृतपाल सिंह उर्फ सेवक सिंह** पुत्र डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मोडा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **शिवराज सिंह** पुत्र डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मोडा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **सतनाम सिंह** पुत्र डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मोडा, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **भारत संघ** जरिये सेक्रेट्री सरफेस ट्रान्सपोर्ट एवं नेशनल हाईवे, नई दिल्ली
2. **भारतीय नेशनल हाईवे** जरिये जनरल मैनेजर 5 व 6 सेक्टर 10, द्वारिका, नई दिल्ली
3. **परियोजना निदेशक,** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई, 191, कोर्ट रोड, नजदीक सिटी पुलिस स्टेशन, हनुमानगढ़ टाऊन, हनुमानगढ
4. **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी,** श्रीकरणपुर
5. **राजस्थान** राज्य जरिये मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर
6. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीकरणपुर
7. सहायक निदेशक, उद्यान, श्रीगंगानगर

26.10.2023

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता** श्री कुलदीप सिंह का कथन है कि प्रार्थीगण के नाम की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि नगरपालिका मण्डल, श्रीकरणपुर के गांव 12 के मु.नं. 29 के किला 01 में तादादी 0.2270 हैक्टैयर एवं किला नं. 2 में तादादी 0.2530 कुल किला 02 कुल तादादी 0.4800 हैक्टेयर सिचिंत कृषि भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण [illegible] बरही किस्म की बागवानी का रोपण का रखा है जो [illegible] में स्थित ट्यूबवेल एवं डिग्गी के पानी द्वारा सिंचित है।

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

**उनका आगे यह भी कथन है कि** सहायक निदेशक, श्रीगंगानगर द्वारा भारतमाला सड़क परियोजना के अन्तर्गत आ रहे उद्यान/वृक्षों हेतु गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण करने पर प्रार्थीगण को चक 12 के उक्त मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 01 मुं बरही किस्म के खजूर के 47 पौधे उगे होने का हवाला अपनी रिपोर्ट में दिया है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चिंहित अर्जन/योग्य/अवाप्ताधीन भूमि के सम्बन्ध में तहसील श्रीकरणपुर के ग्राम 1एफ–ए, 12–ओ, 44–एफ, 46–एफ, 5–ओ, 6–ओ(ए), 6–ओ(बी), 9 डब्ल्यू की खातेदारी भूमि की अवाप्ति हेतु अधिसचूना भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 02.04.2018 को जारी की गई जिसकी सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 11.04.2018 को प्रकाशित करवाई गई जिसमें अवार्ड संख्या 128, 129 एवं 130 में प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि में से किला नं. 01 में तादादी 0.0021 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा जारी किया गया है उसमें कृषि भूमि की किस्म साधारण बारानी दर्ज कर रखा है जबकि प्रार्थी की उक्त रकबा मुरब्बा नं. 29 की उक्त किला नं. 01 की कृषि भूमि अवाप्ति से पूर्व की नलकूप डिग्गी से सिचित की जा रही थी एवं उक्त मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 01 में बरही खजूर के 47 पौधे अवाप्ति से पूर्व विद्यमान थे। उक्त भूमि डिग्गी पानी से विद्युत मोटर द्वारा खाला सिंचाई प्रणाली से सिंचित थी। इस हेतु प्रार्थीगण को विद्युत विभाग द्वारा जारी विद्युत कनैक्शन से विद्युत मोटर द्वारा खाला सिंचाई प्रणाली से सिंचित थी। इस हेतु प्रार्थीगण को विद्युत विभाग द्वारा विद्यतु कनेक्शरनसे विद्युत मोटर पम्प का उपयोग प्रार्थीगण करते आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

**उनका आगे यह** [illegible] 12 ओ के मुरब्बा नं. 29 के किला नं. [illegible] सिंचित कृषि भूमि का मुआवजा बारानी की दर से किदया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। इस अवार्ड से

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण व्यथित है। उक्त त्रुटि राजस्व विभाग के कार्मिको द्वारा रिकॉर्ड संधारण में सहबन से हुई त्रुटि प्रतीत होती है जिसे रिकॉर्ड के अनुसार एवं सहायक निदेशक उद्यानिकी विभाग, श्रीगंगानगर की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दुरूस्त किया जा सकता है, उक्त जारी अवार्ड 128, 129, 130 से प्रार्थीगण को मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर प्रत्यक्ष आर्थिक हानि हो रही है :

1. प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि वास्तविक रूप से नगरपालिका, श्रीकरणपुर के मास्टर प्लान में है, जिसकी मौका रिपोर्ट श्रीमान् अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, श्रीकरणपुर से मांगी गई चक 12 ओ के विभिन्न मुरब्बा नम्बर 29 की श्रीकरणपुर नगरपालिका के अधीन शहरी क्षेत्र में पैराफेरी की मौका स्थिति पर मांगी गई रिपोर्ट के जवाब में पवन कुमार, कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका, करणपुर ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि 12 ओ (अन्तर्गत मुरब्बा नं. 29) आता है, का पूरा रकबा नगरपालिका परिधि नियंत्रण पट्टी अंतर्गत आता है।
2. भारतमाला सडक परियोजना में प्रार्थीगण की उक्त मु.नं. 29 के किला नं. 1 की अवाप्त भूमि में तत्समय उगे हुये 47 बरही खजूर के पौधों की स्ट्रक्चर एवं ट्री अवार्ड का मूल्यांकन बरही खजूर जो कि उद्यान की के अन्तर्गत आते है। सहायक निदेशक उद्यानिकी, श्रीगंगानगर की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 5,02,01,358 /– + सोलिशियम + अवाप्ति के दिन से निर्धारित ब्याज + मानसिक संताप राशि की गणना करके मुआवजा राशि दिलाई जावे।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** प्रार्थी की चक 12 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नं. 1 में उगे हुए 47 खजूर (बरही) किस्म के पौधों के सम्बन्ध में आपत्ति निस्तारण में एकतरफा निर्णय लेते हुए आपत्ति विधि विरुद्ध खारिज कर दिया गया जबकि बरही खजूर के 47 पौधे भूमि अवाप्ति की प्रारम्भिक प्रक्रिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए से पूर्व के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उगे हुए थे जिसका सत्यापन सहायक निदेशक उद्यानिकी विभाग, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर रखा है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** आयुक्त उद्यानिकी राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 05.05.2022 द्वारा एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया था। राज्य स्तरीय कमेटी ने दिनांक 26.05.2022 से 28.05.2022 तक श्रीगंगानगर जिले में अब अवाप्ताधीन भूमि पर उगे फलदार बाधों का मौका निरीक्षण कर उपलब्ध परिपत्रों के अनुसार बाग का कृषक बार मूल्यांकन किया और तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की जिसमें राज्य कमेटी द्वारा प्रार्थीगण की भूमि को सिंचित बागवानी भूमि मानकर प्रार्थीगण की सिंचित भूमि पर उगे के बरही खजूर के 47 पौधों के लिए रूपये 5,02,01,358/– मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी माना जिससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि सिंचित बाग भूमि है और प्रार्थीगण आवाप्तधीन भूमि पर लगे फलदार पौधों और उक्त भूमि का मुआवजा सिंचित बाग भूमि की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने अवाप्त भूमि एवं स्ट्रक्चर एवं ट्री अवार्ड के मुआवजा राशि पर ब्याज की गणना की है तथा भूमि की मुआवजा राशि पर सोलिशियम जोडा है लेकिन सोलिशियम की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की गणना नहीं की है। कानूनन सोलिशियम की राशि पर भी 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की गणना की जानी चाहिए थी। प्रार्थी सोलेशियम की राशि पर भी 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

**इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि** केन्द्र सरकार ने राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर जिले में भारतमाला परियोजना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rathi
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पैकेज–6 के 34.500 कि.मी. से 71.000 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिये भूमि अवाप्त करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 वे 31.08.2018 का भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर तहसील श्रीकरणपुर के ग्राम 12 ओ के मुरब्बा नम्बर 29 किला नम्बर 1 में से 0.1783 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि अवाप्त की गई है। उक्त अधिूसचनाओं का प्रार्थीगण को सूचित करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कर आपत्तिया आमन्त्रित की गयी, जिन व्यक्तियों ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारिध समयावधि में आपत्ति प्रस्तुत की गयी, उनका सुनवाई के बाद नियमानुसार निस्तारण किया गया।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** सक्षम प्राधिकारी ने अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित करने बाबत अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक 11.04.2018 को बारानी कृषि भूमि की जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर, उपं पंजीयक से प्राप्त कर उसको उपयोग में लेकर व भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर भूमि अवार्ड दिनांक 26.05.2021 को पारित किया गया, लेकिन प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को अनुचित एवं अवैध लाभ पहुंचाने की नीयत से बिना किसी आधार के अवाप्त बारानी भूमि को सिंचित बताकर अवैधानिक मुआवजे की मांग कर रहे है, जो कि निराधार होने के कारण स्वीकार व देय नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

**उनका आगे यह भी कथन है कि** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन के समय प्रचलित दर के अनुसार भूमि की मुआवजा

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राशि का निर्धारण किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना के समय प्रश्नगत अवाप्त भूमि पर कोई खजूर के पेड/पौधें स्थित नहीं थे। धारा 3ए अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात प्रार्थीगण ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा से कानून के साथ खिलवाड़ कर केवल प्रश्नगत अवाप्त भूमि पर ही अधिक संख्या में खजूर के 47 पेड/पौधें रोपित कर दिये गये, जिनकी सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के आदेश की पालना में गठित कमेटी के सदस्यों के साथ तहसीलदार, श्रीकरणपुर द्वारा अवाप्त भूमि के मौके पर दिनांक 10.06.2022 को पहुंच कर फर्द मौका तैयार की गई। तहसीलदार, श्रीकरणपुर की रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने अधिक मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से रोपित 47 खजूर के पेड़/पौधों का रोपण 3ए अधिसूचना के उपरान्त का होने के आधार पर मुआवजा नहीं दिया जाना उचित मानते हुए दिनांक 24.06.2022 को अवाप्ताधीन भूमि में स्थित परिसंपत्तियों का अवार्ड पारित कर दिया, जो कि नियमानुसार है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के प्रावधानों से स्पष्ट है कि भूमि अवाप्त करने बाबत अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात कोई खातेदार/भू–हितधारी अवाप्त भूमि पर कोई भी संरचना यथा पेड, पौधे व भवन इत्यादि का निर्माण/स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए प्रार्थीगण 47 खजूर के पेड/पौधों का मुआवजा राशि नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** प्रार्थीगण [illegible] ओ के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 की अ[illegible] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02[illegible]2018 को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। प्रार्थीगण ने धारा 3ए की अधिसूचना जारी हो जाने के पश्चात अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

में केवल राष्ट्रीय राजमार्ग की अवाप्तधीन भूमि पर ही खजूर के पेड रोपित किये है जो कि धारा 3ए की अधिसूचना के समय की गिरदावरी, तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 व संरचना अवावर्ड 24.06.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः धारा 3ए की अधिसूचना के समय प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि सिंचित न होकर बारानी कृषि भूमि थी।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को जारी कर उक्त प्रश्नगत अवाप्त भूमि को अवाप्त कर लिया गया था। धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 को उक्त अवाप्त भूमि पर कोई खजूर के पौधे स्थित नहीं थे, लेकिन जब सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में गठित कमेटी दिनांक 17.09.2021 को मौका निरीक्षण करने हेतु उक्त अवाप्तधीन भूमि के मौके पर गयी, उस दिन 4 वर्ष के 47 खजूर के पौधे रोपित पाये गये। इस प्रकार प्रार्थीगण ने धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के बाद व कमेटी द्वारा उक्त अवाप्त भूमि पर मौका निरीक्षण हेतु दिनाक 17.09.2021 को आने से पूर्व ही अधिक मुआवजा प्राप्त करने की लालसा में कानून के खिलवाड कर केवल प्रश्नगत अवाप्तधीन भूमि पर ही अनुचित एवं अवैध तरीके से पौधों के मध्य निर्धारित दूरी को ध्यान रखे बिना ही खजूर के 47 बडे पौधे / वृक्ष रोपित किये है, जिनको तहसीलदार, करणपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 में भी धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात प्रार्थीगणों द्वारा अवाप्तधीन भूमि पर प्रश्नगत पौधे रोपित किया जाना बताया [illegible] कारण अवैधानिक तरीके से धारा 3ए की अधिसूचना जारी होने [illegible] खजूर के पौधे / वृक्ष की प्रार्थीगण कोई मुआवजा राशि [illegible] के अधिकारी नहीं है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 से पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थीगण की प्रश्नगत अवाप्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिंचित भूमि दर्ज नहीं थी और ना ही प्रश्नगत अवाप्त भूमि पर खजूर के पेड़ स्थित थे जो कि धारा 3ए की अधिसूचना के समय की गिरदावरी व तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 से स्पष्ट हैं। विद्युत विभाग द्वारा जारी कनेक्शन अवाप्ताधीन भूमि के किले से संबंधित नहीं होकर अन्य खेत का है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** हस्तगत प्रकरण में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(ए) की अनुपालना में धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 02.04.2018 को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित दर के अनुसार ही प्रार्थीगण की अवाप्तधीन बारानी कृषि भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण करने के उपरान्त ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड जारी किया गया है, जो कि नियमानुसार है। वास्तविक रूप में प्रार्थीगण की अवाप्तधीन भूमि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित नहीं हैं।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 2013 की धारा 30(3) के अनुसार धारा 26(1) के अधीन अवधारित भूमि के मूल बाजार मूल्य पर ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना के प्रकाशन से अवार्ड पारित होने की दिनांक तक 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि ब्याज स्वरूप दिये जाने का प्रावधान है, जो कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी को दी गयी है। अधिनियम की धारा 30(1) के अनुसार दी जाने वाली सोलिशियम राशि पर ब्याज/अतिरिक्त कोई राशि दिये जाने का प्रावधान अधिनियम 2013 व अधिनियम 1956 में नहीं है। इसलिए प्रार्थी सोलेशियम राशि पर कानूनन कोई ब्याज/अतिरिक्त राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

**मैनें, पत्रावली, उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर की पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों** का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rain
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**राजस्थान राज्य के श्रीगंगानगर** में भारतमाला परियोजना पैकेज–6 (पार्ट–1) के श्रीगंगानगर (एनएच–62) साधुवाली–जैड माईनर श्रीकरणपुर–गजसिंहपुर –रायसिंहनगर के दो/चार लेन पेव्ड शोल्डर कार्य के अन्तर्गत लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन करने व लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02.04.2018 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> **3A. Power to acquire land, etc, -**
>
> (1) Where the central Government is satisfied that for a public purpose any land in required for the building, maintenance, management or operation of a national highway of part thereof it may, by notification in the official gazette, declare its intention to acquire such land.
>
> (2) Every notification under sub section (1) shall give a brief description of the land.
>
> **(3)** The competent authority shall cause the substance of the notification to be published in two local newspapers, one of which will be in a vernacular language

**सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर** द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 24.06.2022 के पृष्ठ संख्या 2 बिन्दु संख्या 5 में निम्नानुसार अंकित किया है :

> 5. लोक सूचना के लिए उक्त अधिसूचना 4291(अ) का दिनांक 31.08.2018 को [illegible] सीमा सन्देश व दैनिक भास्कर [illegible] को इस आश्य से प्रका[illegible] प्रकाशित अधिसूचना के अन्तर्गत हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा [illegible]प्तिधीन भूमि के संबंध में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

दावा/आक्षेप प्रस्तुत किया जा सके। इस हेतु 21 दिन की समयावधि निर्धारित की गयी। निर्धारित समयावधि में हितबद्ध व्यक्तियों की ओर से प्राप्त आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लिया जाकर एवं सुनवाई की जाकर निस्तारण किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी निम्नानुसार अवलोकनीय है:

**3C Hearing of Objections**

4. **Any Person interested in the land may, within tweny-one days from the date of publication of the notification under sub section (1) of section 3A, object to the use of the land for the purpose or purpose mentioned in that sub-section**

2. Every objection under sub section (1) shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legel practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessay, by order, either allow or disallow the objections

**Explanation** : for the purpose of this sub- section "legal practitioner has the same meaning as in cluase (i) of sub-section(1) of Section 2 of the Advocate Act 1961 (25 of 1961)

3. Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final."

**धारा 3ए का नोटिफिकेशन जारी** होने के पश्चात जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत जो भी आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया गया। इसलिए प्रार्थी का यह कथन कि **सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई, स्वीकार करने योग्य नहीं है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि** उसकी अवाप्त की भूमि पर बाग लगा होना अंकित किया है जबकि **सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर** द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 24.06.2022 के पृष्ठ संख्या 4 बिन्दु संख्या E में निम्नानुसार अंकित किया है :

> अमृतपाल सिंह पुत्र सेवक सिंह, एवं शिवराज सिंह, सतनाम सिंह पुत्र डिप्टी सिंह चक 12 ओ तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 1 में 47 खजूर के पौधें रोपित बताये है। इस संबंध में **तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट** के अनुसार समस्त बाग व पेड़ जहां से भारतमाला की सड़क प्रस्तावित है वहीं पर लगाये गये है तथा **भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अंतर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1454 अ. दिनांक 02.04.2018 व अखबार में प्रकाशन दिनांक 11.04.2018 के पश्चात एवं सीमांकन के पश्चात मुआवजा राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से पौधों का रोपण किया गया है।** अतः मुआवजा राशि दिया जाना उचित नहीं है।

**सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक 5866 दिनांक 21.03.2022 से सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> परन्तु श्रीकरणपुर क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा बड़ी उम्र के पौधे जमीन लगाकर मुआ[illegible] मौखिक सूचना इस कार्यालय को प्राप्त हु[illegible] आने के बाद संदेहास्पद [illegible] बागों का निरीक्षण श्रीमान् तहसीलादार, श्रीकरणपुर, संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक,

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

> संबंधित पटवारी व गिरदावर तथा अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता की कमेटी गठित कर **पुनः निरीक्षण करने की अभिशंषा की जाती है तथा इनमें से जो बाग वास्तविक है, उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट यथावत तथा अन्य बाग जो संदेहास्पद है, उनकी मूल्यांकन रिपोर्ट पुनः करने की अनुशंषा की जाती है।**

**सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर** के उक्त पत्रांक पर सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने तहसीलदार, श्रीकरणपुर से रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार, श्रीकरणपुर ने अपने पत्रांक 4266 दिनांक 17.06.2022 के प्रथम पैरा के पंक्ति संख्या 11 से 17 में निम्नानुसार अंकित किया है:

> खसरा गिरदावरी खरीफ सम्वत् 2078 में ही बाग खजूर की गिरदावरी अंकित है, इससे पुरानी गिरदावरी में उक्त भूमि पर अन्य फसल अंकित है, तथा उक्त बाग के पौधें जहां से भारतमाला के अन्तर्गत सड़क प्रस्तावित है सिर्फ वहीं लगाये गये है। **उक्त बाग मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी भारतमाला भूमि अवाप्त हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का. आ. 1454 अ. दिनांक 02.04.2018 व अखबार में प्रकाशन दिनांक 11.04.2018 से पश्चात का लगा हुआ है।** नकल जमाबंदी व गिरदावरी संलग्न है।

**सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर** ने तहसीलदार(भू.अ.), श्रीकरणपुर की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 24.06.2022 को अवार्ड पारित किया गया है। तहसीलदार (भू.अ.), श्रीकरणपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पश्चात प्रार्थीगण ने भारतमाला के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़क के स्थान पर ही पौधे लगाये है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2075 (वर्ष 2019) में प्रार्थीगण की मुरब्बा नं. 01 किला नं. 1/2 में भूमि का प्रकार बारानी बातया गया है, जिससे भी स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 को भी प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि बारानी थी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 02.04.2018 पर कोई बाग नहीं था। इसलिए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा दिनांक 24.06.2022 को जारी किया गया अवार्ड सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(7)(क) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> (7)The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section *(1)* or sub-section *(5)*, as the case may be, shall take into consideration--
>
> **(a)the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;**

**A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956 का पेज नं. 118 का पैरा 3.5.5(i) का निम्नानुसार अवलोकनीय है:**

> **3.5.5 Compensation for structures on Government Land/Public Assets :**
>
> (i) Once MoRTH has notified land for acquisition for a road project or associated facilities, the CALA is duty bound under law to determine the compensation for the such land and the structure, trees or any other assets attached to such land or standing thereon as on the date of issue of notification under Section 3A f the NH Act.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

1956. **However, creation of any such asset of change in the nature of any such asset including value addition therein on or after the issue of Section 3A Notification in not taken into account for payment of any compensation,** As such, it is in the interest of the acquiring agency that the status of any such assets is captured, as early as possible, upon issue of the Notification, through photographs/ videography so as to ensure the genuineness of determination of compensation.

**A Manual of Guidelines On Land Acquisition for National Highways Under The National Highways Act, 1956** का पेज नं. 120 का पैरा **3.5.6(ii)** का निम्नानुसार अवलोकनीय है:

**3.5.6 Other factors**

(ii) Notwithstanding the above scenarios, **it is important to note that any improvement done in or over the subject land after issue of Notification under Section 3A has to be ignored.** Conversely, any damage done to the land has to be duly factored while determining the compensation amount. It is in this context that the DPR consultants are expected to capture the status of land at the time of survey using the appropriate technology (e.g. LiDAR/Drone-imaging/videography). To illustrate, in one case, a landowner may undertake construction of some building over the subject land to get undue benefit in determinationof compensation amount (in the form of 100% solatium) or take up plantation of trees on the land under acquisition after publication of Section 3A Notificaton. Such development has to be ignored while determining the compensation amount. **It is precisely for this reasnon that the landowner is paid on additional amount calculated @12% from the date of preliminaty Notification till**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> **<u>the announcement of Award under sub-section(3) of Section 30 of the RFCTLARR Act, 2013.</u>** to illustrate anoter situation, a landowner may decide to sell the "ordinary earth" from his field to a third party after the publication of Preliminary Notification in the Official Gaxette, with the intention of making extra money from such sale. In the process, the landowner ends up creating a negative value to the land under acquisition. Any such occurrenct has to be duly factored by the CALA while determining the compensation amount.

**सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, करणपुर ने अपने जवाब दिनांक 18.04.2023 के** बिन्दु संख्या 3 में निम्नानुसार अंकित किया है :

> बिन्दु संख्या 3 में अंकित तथ्य इस सीमा तक स्वीकार है कि भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अवापत के लिए उपखण्ड अधिकारी , श्रीकरणपुर के सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) प्राधिकृत किया गया, जिसके लिए भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी की गयी। भूमि अवाप्ति के पश्चात अवार्ड दिनांक 26.05.2021 विधि अनुसार जारी किया गया हैं भूमि अर्जन, पुनर्वासान एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची क्रम संख्या 1 के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित किये जाने हेतु **धारा 26(1)(क)के अन्तर्गत उपपंजीयक के डीएलसी अनुमोदित दरें प्राप्त होने पर उक्त अधिनियम की प्रथम सूची के अनुसार प्रतिकर का निर्धा[illegible] [illegible] पहली अनुसूची के क्रम संख्या 2 में शहरी क्षेत्र से प[illegible]जा[illegible] की दूरी के आधार पर भूमि के बाजार मू[illegible] [illegible] से गुणित किया गया है, जिसमें समुचि[illegible] [illegible] द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार कारक (Factor) से गुंणित किया गया है।** कारक निर्धारण हेतु ग्रामों की दूरी शहरी सीमा क्षेत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अंतिम बिन्दु से रेडियल दूरी के अनुसार किया गया है। अवार्ड निर्धारण में ग्राम 12 ओ में कारक (factor) 1.25 (0 से 10 किमी) लागू किया गया है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 के अनुसार बाजार मूल्य के समतुल्य तोषण की राशि निर्धारित की गयी है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियम 26 की पालना करते हुये बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया है जिसे कारक से गुणा करके एवं तोषण की राशि व ब्याज राशि का समायोजन करते हुये अवार्ड राशि की गणना कर प्रतिकर निर्धारित किया गया है। प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि की किस्म राजस्व जमाबंदी में बारानी दर्ज होने के कारण बारानी किस्म के आधार पर मुआवजा निर्धारित किया गया है, जो कि विधिसम्मत् अवार्ड पूर्ण जांच कर निर्धारित किया गया है।

**सक्षम प्राधिकारी के उक्त जवाब से स्पष्ट है** कि डी.एल.सी. दर विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती है और प्रार्थी को डी.एल.सी. दरों के अनुरूप ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। **महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक एफ.7(39)जन / मार्गदर्शिका / 2015 / पार्ट / 4671 दिनांक 17.06.2015 में दिये गये निर्देशानुसार, जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई दरें ही वास्तविक बाजार मूल्य होती है।** इसलिए प्रार्थी का यह कथन की उसे दी गई मुआवजा राशि बाजार मूल्य से कम दी गई है, सही नहीं है। **अतः प्रार्थी का बाजार मूल्य से कम राशि दिये जाने का [illegible] खारिज किया जाता है।**

**संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर** के पत्रांक प.1(3)राज / 6 / 2011 / पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 द्वारा जारी अधिसूचना निम्नानुसार अवलोकनीय है:

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

## अधिसूचना

भूमि, अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 26 की उप–धारा (2) सपठित प्रथम अनुसूचि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज–6 / 2011 / पार्ट / 13 दिनांक 16.10.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्र की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से अवाप्ति हेतु प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारित हेतु बाजार मूल्य को जिस गुणक से गुणा किया जाना है, वह गुणक निम्ना अनुसार होगा :

| **शहरी क्षेत्र से दूरी** | **गुणक जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावे** |
|---|---|
| 0–10 कि.मी. तक | 1.25 |
| 10 कि.मी. से अधिक व 20 कि.मी. तक | 1.50 |
| 20 कि.मी. से अधिक व 30 कि.मी. तक | 1.75 |
| 30 कि.मी. से अधिक | 2.00 |

**स्पष्टीकरण** – जयपुर, जोधपुर व अजमेर के लिए विकास प्राधिकरणों की सीमा तक के क्षेत्र तथा विकास प्राधिकरणों से भिन्न शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम / नगर परिषद् / नगर पालिका सीमा तक के क्षेत्र जिसमें उक्त स्थानीय निकायों के निर्वाचन के समस्त वार्ड क्षेत्र सम्मिलित है, को शहरी क्षेत्र सीमा में माना जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

**भारतमाला परियोजना** के तहत आव[illegible] राशि का निर्धारण उक्त अधिसूचना में दिये गये कारक(Factor) के अ[illegible]र ही दिया जाना है जबकि प्रार्थी ने अपनी बहस में पैराफेरी क्षेत्र हेतु अ[illegible] से राशि दिये जाने की मांग की है, जो सही नहीं है क्योंकि प्रार्थी को उक्त कारक(Factor) के अनुसार की

आर्बिट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राशि निर्धारित कर भुगतान किया गया है। **इसलिए प्रार्थी का पैराफेरी क्षेत्र हेतु अलग राशि दिये जाने बिन्दु खारिज किया जाता है, साथ ही प्रार्थी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि किस्म यथा औद्योगिक/वाणिज्य/कृषि के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।**

**इसलिए उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर द्वारा** अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना निर्धारित डीएलसी दर (बाज़ार मूल्य) के आधार पर की गई है तथा संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.1(3)राज/6/2011/पार्ट 26 जयपुर दिनांक 14.06.2016 के अनुसार निर्धारित कारक(Factor) से गुणक राशि एवं उक्त दोनों राशि के बराबर 100 प्रतिशत अतिरिक्त तोषण (Solatium) राशि (धारा 30 के अधीन) एवं धारा 30(3) के तहत बाजार मूल्य(डीएलसी) पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज(अवार्ड दिनांक तक) की गणना कर दी गई मुआवजा राशि सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।

**उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की** प्रति कम्पीटेंट अथोरिटी एंड एक्युजिशन उपखण्ड अधिकारी करणपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 26.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
कलक्ट्रेटर एवं जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर